प्रेस नोट

दिनांकः— 24.05.2023

कार्यालय पुलिस थाना बनाड जोधपुर पूर्व

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व धोखाधड़ी के प्रकरण में वांछित 5000/— हजार रूपये का ईनामी आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय श्री रविदत गौड़ के आदेशानुसार व श्रीमान पुलिस उपायुक्त श्रीमती डॉ॒ अमृता दुहन के निर्देशानुसार व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री नाजिम अली व श्रीमान निशान्त भारद्वाज के निकट निर्देशन में तथा सहायक पुलिस आयुक्त मण्डोर श्री राजेन्द्र प्रसाद दिवाकर के सुपरविजन में थानाधिकारी पुलिस थाना बनाड़ श्री सीताराम खोजा निपु के नेतृत्व में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व धोखाधड़ी के प्रकरण में वांछित ईनामी अपराधियो की धरपकड़ हेतु विशेष टीम का गठन कर निर्देशित किया गया।

कार्यवाही पुलिसः— श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय श्री रविदत गौड़ के निर्देशन मे श्रीमान पुलिस उपायुक्त श्रीमती डॉ॒ अमृता दुहन आईपीएस के द्वारा थाना बनाड़ में दर्ज राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व धोखाधड़ी के प्रकरण में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करवाने एवं सूचना देने वालो के लिये नकद ईनाम की राशि 5000/— हजार रूपये घोषित कर वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। जिस पर मन् सीताराम खोजा थानाधिकारी पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व के द्वारा थाना हाजा पर श्री महिपाल भाकर कानि. नं. 591 व श्री माणकचन्द कानि. नं. 1426 की टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण आपराधिक प्रकरण होने से व आरोपियों की गिरप्तारी अविलम्ब किये जाने के लिये आसूचना संकलन करते हुए वांछित 5000/— हजार रूपये का ईनामी अपराधी लालनाथ पुत्र श्री हरचन्दनाथ जाति नाथ निवासी सोवो की ढाणी पीपलिया पुलिस थाना खिंवसर जिला नागौर को दस्तयाब किया गया। ईनामी आरोपी लालनाथ से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी परीक्षा के पेपर के संबंध में पूछताछ व अनुसंधान जारी है।

कार्यवाही में शामिल पुलिस टीमः—

1 श्री सीताराम खोजा निपु थानाधिकारी पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व
2 श्री माणकचन्द कानि0 1426 पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व
3 श्री महिपाल भाकर कानि 591 पुलिस थान बनाड़ जोधपुर पूर्व

मुलजिमः— लालनाथ

भवदीय
एसडी/—
थानाधिकारी
पुलिस थाना बनाड़
जोधपुर पूर्व